कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
मेरठ-250110, उत्तर प्रदेश

स्व-रोज़गार एवं उद्यम विकास हेतु व्यवहारिक कुक्कुट पालन प्रशिक्षण

पाँच दिवसीय व्यावहारिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञो द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यानों की रूपरेखा

1. **कुक्कुट नस्लों की पहचान और चयन :** मुर्गीपालक विभिन्न कुक्कुट नस्लों की पहचान और चयन के सिद्धांत सीखेंगे, जिससे वे उत्पादन क्षमता, और देखभाल की आवश्यकताओं के अनुसार उचित नस्ल चुन सकेंगे।





2. **चूज़ों को पकड़ने एवं नियंत्रित करने की तकनीक :** मुर्गीपालक सुरक्षित तरीके से चूज़ों को पकड़ना और नियंत्रित करना सीखेंगे, जिससे उनकी देखभाल आसान होगी और मृत्यु दर कम होगी।

3. **चूज़ों में लिंग निर्धारण करने की विधियाँ :** मुर्गीपालक चूज़ों का लिंग पहचानने की विभिन्न व्यावहारिक विधियाँ सीखेंगे, जिससे वे उत्पादन योजना और झुंड प्रबंधन को अधिक प्रभावी बना सकेंगे।





4. **चूज़ों की चोंच काटने की विधि :** मुर्गीपालक चूज़ों की चोंच काटने की वैज्ञानिक विधि सीखेंगे, जिससे चोंच से होने वाली चोटें कम होंगी, अंडा उत्पादन बढ़ेगा और पक्षियों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

5. **चूज़ों का पालन-पोषण और देखभाल :** मुर्गीपालक चूज़ों के पालन-पोषण और देखभाल के आवश्यक तरीक़े सीखेंगे, जिससे शुरुआती अवस्था में उनकी वृद्धि तेज़ होगी और उत्पादन क्षमता बेहतर बनेगी।





6. **चूज़ों का टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास :** मुर्गीपालक चूज़ों के टीकाकरण की सही विधि और समय सीखेंगे, जिससे वे संक्रामक रोगों से सुरक्षित रहेंगे और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।

7. **कुक्कुट आवास में स्वच्छता और जैव सुरक्षा :** मुर्गीपालक कुक्कुट शेड की सफाई और जैव सुरक्षा के प्रभावी उपाय सीखेंगे, जिससे रोग फैलाने वाले जीवाणु नष्ट होंगे और पक्षियों को स्वस्थ वातावरण मिलेगा।



8. **कुक्कुट शव परीक्षण और रोग निदान :** मुर्गीपालक मृत पक्षियों का शव परीक्षण करना सीखेंगे, जिससे मृत्यु के सही कारणों की पहचान हो सके और झुंड में रोगों की रोकथाम के उपाय समय पर किए जा सकें।



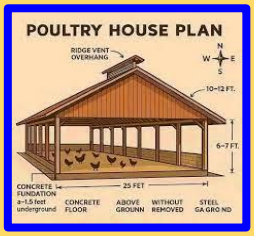

9. **कुक्कुट आवास प्रबंधन –** मुर्गीपालक वैज्ञानिक ढंग से आवास की व्यवस्था करना सीखेंगे, जिससे उचित तापमान, वेंटिलेशन, प्रकाश और स्वच्छता बनी रहे तथा पक्षियों का स्वास्थ्य और उत्पादन अधिकतम हो।

10. **कुक्कुट स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन –** मुर्गीपालक कुक्कुटों के स्वास्थ्य की देखभाल और रोगों की रोकथाम सीखेंगे, जिससे झुंड स्वस्थ और उत्पादक बना रहे।



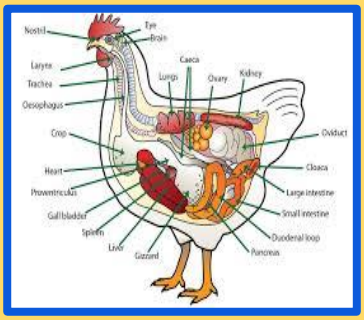

11. **कुक्कुटों के शरीर की बनावट और अंगों की जानकारी** – मुर्गीपालक कुक्कुटों के शरीर के प्रमुख अंगों, हड्डियों और मांसपेशियों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे पक्षियों की देखभाल और स्वास्थ्य प्रबंधन बेहतर हो सके।

12. **मुर्गी दाना निर्माण –** मुर्गीपालक संतुलित पोषक तत्वों से भरपूर दाना तैयार करना सीखेंगे, जिससे मुर्गियों की वृद्धि, अंडा उत्पादन और स्वास्थ्य में सुधार हो।





13. **कुक्कुट उत्पादों के विक्रय माध्यम –** मुर्गीपालक अंडों और कुक्कुटों की बिक्री के प्रभावी चैनल पहचानना सीखेंगे, जिससे उचित मूल्य और अधिक लाभ सुनिश्चित हो सके।

14. **कुक्कुट फार्म बैंक परियोजना रिपोर्ट –** मुर्गीपालक ऋण प्राप्ति हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार करना सीखेंगे, जिससे वे अपना कुक्कुट पालन व्यवसाय शुरू या विस्तारित कर सकें।





15. **चिकन से आचार बनाने की प्रक्रिया –** मुर्गीपालक चिकन आचार बनाने की पूरी प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण सीखेंगे, जिससे मांस की भंडारण क्षमता बढ़े और बाजार में उच्च मूल्य प्राप्त किया जा सके।

16. कुक्कुटों के नमूनों में परजीवी संक्रमण की जाँच विधियाँ – मुर्गीपालक सरल एवं वैज्ञानिक तरीकों से परजीवी संक्रमण की पहचान करना सीखेंगे।

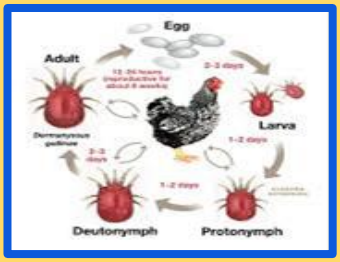



17. विश्वविद्यालय पशुपालन फार्मों का शैक्षिक भ्रमण – प्रतिभागी भेड़, बकरी, सूअर, भैंस एवं गौ पालन फार्मों का भ्रमण कर विभिन्न पशुपालन प्रणालियों, प्रबंधन विधियों एवं उद्यम अवसरों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करेंगे।



पंजीकरण हेतु प्रशिक्षण शुल्क (₹ 2500/-)

आवेदक निकटतम बैंक शाखा में प्रशिक्षण शुल्क (₹ 2500/-) जमा कर सकते हैं अथवा UPI के माध्यम से दिए गए स्कैन की मदद से निम्नलिखित खाते में राशि स्थानांतरित कर सकते हैं

खाता संख्या: 30177567576,

IFSC: SBIN0010653

शुल्क जमा करने के उपरांत, कृपया लेन-देन विवरण, जिसमे UTR नंबर अंकित हो उसकी फोटो अथवा बैंक जमा पर्ची का एस्तेमाल कर अपना पंजीकरण नीचे दिए गाए तरीके से करें।

चरण 1

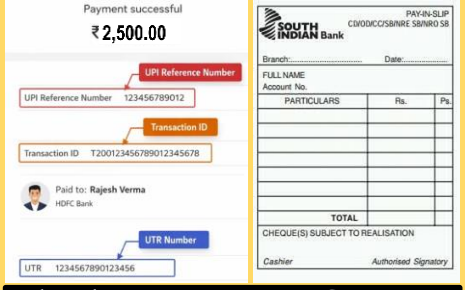

ट्रैन्सैक्शन पूरा कर विवरण वाली UPI अथवा बैंक जमा पर्ची का चित्र मोबाईल में सेव करें।

चरण 2

यहा क्लिक करें।

स्कैन अथवा क्लिक कर Google फॉर्म में चरण 1 में सेव किया चित्र व संबंधित विवरण दर्ज करें।

चरण 3

यहा क्लिक करें।

स्कैन अथवा क्लिक कर पंजीकरण तालिका में अपने नाम की पूष्ठि करें।

नियम एवं शर्तें

1. **शुल्क वापस नहीं होगा।** एक बार प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। यह शुल्क केवल प्रशिक्षण के लिए है। आवास, भोजन तथा अन्य व्यक्तिगत खर्च इसमें शामिल नहीं हैं।
2. **बैच की न्यूनतम संख्या अनिवार्य है।** प्रशिक्षण बैच तभी निश्चित होगा जब कम से कम 15 प्रशिक्षणार्थी शुल्क जमा कर चुके हों।
3. **अधिकतम बैच क्षमता।** प्रत्येक बैच में अधिकतम 25 प्रशिक्षणार्थी ही लिए जाएंगे। इससे अधिक किसी को भी उसी बैच में स्थान नहीं दिया जाएगा।
4. **प्रशिक्षण का समय।** प्रशिक्षण प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, बशर्ते पर्याप्त प्रशिक्षणार्थी नामांकित हों।
5. **प्रशिक्षण प्रारंभ तिथि।** प्रशिक्षण तीसरे सप्ताह के मंगलवार से प्रारंभ होगा। यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो प्रशिक्षण अगले कार्य दिवस से शुरू होगा।
6. **प्रशिक्षण की अवधि एवं दैनिक समय-सारिणी।** प्रशिक्षण की अवधि पाँच कार्य दिवस की होगी। बीच में पड़ने वाला कोई भी सार्वजनिक अवकाश, अवकाश के रूप में मान्य होगा और उसे पाँच दिनों में नहीं गिना जाएगा। प्रत्येक दिन प्रशिक्षण का समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक होगा, जिसमें दोपहर 1 घंटे का भोजन अवकाश सम्मिलित है।
7. **स्लॉट आवंटन।** जो प्रशिक्षणार्थी पहले शुल्क जमा करेगा, उसे पहले बैच में प्राथमिकता मिलेगी। प्राथमिकता शुल्क जमा करने की तिथि एवं समय के आधार पर तय होगी।
8. **समान तिथि पर शुल्क जमा होने की स्थिति।** यदि एक ही तिथि को एक से अधिक प्रशिक्षणार्थी शुल्क जमा करें और स्लॉट सीमित हों, तो प्राथमिकता शुल्क जमा करने के समय के आधार पर निर्धारित की जाएगी। जहाँ समय उपलब्ध न हो, वहाँ कोर्स डायरेक्टर द्वारा पारदर्शी लॉटरी के माध्यम से स्लॉट आवंटित किए जाएंगे। यह निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
9. **बाद के बैच का विकल्प।**यदि आप अपने निर्धारित बैच में भाग नहीं लेना चाहते, तो आपका स्थान अगले पात्र प्रशिक्षणार्थी को दे दिया जाएगा और आपको अगले बैच में शामिल किया जाएगा। यह सुविधा अधिकतम दो बार ही दी जाएगी। दो बार स्थानांतरण के पश्चात यदि प्रशिक्षणार्थी उपस्थित नहीं होता, तो उसका नामांकन एवं जमा शुल्क दोनों समाप्त माने जाएंगे।
10. **आवास एवं भोजन।** आवास और भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। हालांकि, विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को पूल वाहन की उपलब्धता के अधीन प्रशिक्षण स्थल तक परिवहन सुविधा दी जाएगी।
11. **गेस्ट हाउस आवास।** गेस्ट हाउस में आवास सशुल्क एवं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। बुकिंग के लिए डॉ. हरिओम कटियार, गेस्ट हाउस प्रभारी (9450105524) अथवा गेस्ट हाउस केयरटेकर (9639176438) से संपर्क करें।
12. **स्वास्थ्य परीक्षण की सलाह।** प्रशिक्षण में भाग लेने से पूर्व सभी प्रशिक्षणार्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। पूर्व से चली आ रही किसी बीमारी की स्थिति में अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें।
13. **नियम एवं शर्तों में संशोधन।** ये नियम एवं शर्तें कोर्स डायरेक्टर के विवेकाधिकार पर किसी भी समय संशोधित की जा सकती हैं। शुल्क जमा कर चुके प्रशिक्षणार्थियों को किसी भी बदलाव की सूचना दी जाएगी। संशोधन के पश्चात शुल्क जमा करने वालों पर अद्यतन नियम लागू होंगे।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: डॉ. कुलदीप कुमार त्यागी, कोर्स डायरेक्टर | फोन: 9601283365 | prtcmeerut@gmail.com

पोल्ट्री रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेंटर – सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250110